रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032020-218601
CG-DL-E-11032020-218601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2020/फाल्गुन 19, 1941
No. 141] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2020/PHALGUNA 19, 1941

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

सा.का.नि. 165**(अ)**—केंद्रीय सरकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है;

(ख) "जिला बालक संरक्षण एकक" (डीसीपीयू) से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है ।

(ग) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, बाल विकास या अन्य सुसंगत विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसकी संप्रेषण क्षमता अभिघात, नि:शक्तता या किसी अन्य भेद्यता से प्रभावित ऐसे बालकों के साथ संप्रेषण को सुकर बनाने की आवश्यकता है ।

(घ) "विशेष शिक्षक" से सीखने और संवाद की चुनौतियों, भावनात्मक और व्यावहारिक मुद्दों, शारीरिक नि:शक्तताओं और विकासपरक मुद्दों सहित तरीकों से बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं और आवश्यकताओं का समाधान करके नि:शक्त बालकों से संप्रेषण करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए नि:शक्तता पद का वही अर्थ होगा जैसा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड(ध) में परिभाषित किया गया है;

(ङ) "बालक के संप्रेषण के तरीके से परिचित व्यक्ति" का अर्थ है बालक के माता-पिता या परिवार का सदस्य या बालक के साझा परिवार का सदस्य या कोई भी व्यक्ति जिसमें बालक विश्वास और भरोसा रखता है, जो उस बालक के संप्रेषण के विशिष्ट तरीके से परिचित है, और जिनकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होती है या हो सकती है;

(च) "सहायक व्यक्ति" से नियम 4 के उप-नियम (7) के अनुसार बालक कल्याण समिति द्वारा जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक को सहायता प्रदान करने के लिए नियत व्यक्ति, या अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में पूर्व-परीक्षण या परीक्षण प्रक्रिया में बालक की सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3. जानकारी का सृजन और क्षमता निर्माण- (1) केंद्रीय सरकार, या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार बालकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए आयु-अनुकूल शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल है-

(i) उनकी शारीरिक और आभासी पहचान की सुरक्षा; और उनकी भावनात्मक तथा मानसिक भलाई की रक्षा करने के लिए उपाय;

(ii) लैंगिक अपराधों से निवारण और संरक्षण;

(iii) चाइल्ड हेल्पलाइन -1098 सेवाओं सहित रिपोर्टिंग तंत्र;

(iv) अधिनियम के अधीन अपराधों की प्रभावी निवारण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और लैंगिक साम्या को अंतरर्निविष्ट करना।

(2) सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों, स्कूलों और महाविद्यालयों, बस टर्मिनलों, रेलवे स्टेशनों, सभा स्थलों, हवाई अड्डों, टैक्सी स्टैंडों, सिनेमा हॉलों और ऐसे अन्य प्रमुख स्थानों पर संबंधित सरकारों द्वारा उपयुक्त सामग्री और सूचना प्रसारित की जा सकेगी तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे आभासी स्थानों में उपयुक्त रूप में भी प्रसारित की जा सकेगी।

(3) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार संभावित जोखिम और भेद्यताओं, दुर्व्यवहार के संकेतों, अधिनियम के अधीन बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ ही बालकों के लिए उपलब्ध सेवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी फैलाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगी।

(4) बालकों के आवास वाली या स्कूलों, क्रेचों, खेल अकादमियों या बालकों के लिए किसी अन्य सुविधा सहित बालकों के नियमित संपर्क में आने वाली किसी भी संस्था को बालकों के संपर्क में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी, शिक्षण या गैर-शिक्षण, नियमित या संविदात्मक, या ऐसे संस्थान का कर्मचारी होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति की समय-समय पर पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बालक सुरक्षा और संरक्षण पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

(5) संबंधित सरकारें बालकों के विरूद्ध हिंसा के प्रति शून्य-सहिष्णुता के सिद्धांत के आधार पर एक बालक संरक्षण नीति तैयार करेंगी, जिसका बालकों के लिए कार्य करने वाले या संपर्क में आने वाले सभी संस्थानों, संगठनों या किसी अन्य एजेंसी द्वारा पालन किया जाएगा।

(6) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार बालकों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को चाहे वे नियमित हों या संविदात्मक, समय-समय पर बालक सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूक करने और अधिनियम के अधीन उनकी जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संवेदीकरण कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सहित प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पुलिस कार्मिकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संबंधित भूमिकाओं में उनकी क्षमता के निर्माण हेतु नियमित आधार पर अभिविन्यास कार्यक्रम और गहन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे ।

4. बालक की देखभाल और संरक्षण के बारे में प्रक्रिया- (1) जहां किसी विशेष किशोर पुलिस एकक (इसे इसमें इसके पश्चात् "एसजेपीयू" कहा गया है) या स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन बालक सहित किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त होती है, ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरा प्रकटित करेगी:-

(i) अपना नाम और पदनाम;

(ii) पता और टेलीफोन नंबर;

(iii) सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क का ब्यौरा।

(2) यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध होने के बारे में ऐसी कोई सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 को प्राप्त होती है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन ऐसी सूचना की तुरंत एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करेगी।

(3) जब किसी एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, जैसा भी मामला हो, को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कोई अपराध जो किया गया हो या करने का प्रयत्न किया गया हो या किए जाने की संभावना हो, के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित प्राधिकारी करेगा, जहां लागू हो :

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के उपबंधों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट रिकॉर्ड और दर्ज करने की कार्यवाही, और ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उक्त संहिता की धारा 154 की उप-धारा (2) के अनुसार उसकी एक प्रति नि:शुल्क प्रतिलिपि देना;

(ख) जहां बालक को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (5) या इन नियमों के अधीन आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो, तो नियम 6 के अनुसार, बालक की ऐसी देखभाल की पहुंच की व्यवस्था करना;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बालक को चिकित्सीय परीक्षा हेतु अस्पताल ले जाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि फोरेंसिक परीक्षणों के प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए नमूनों को तुरंत फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा जाए;

(ङ) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को परामर्श सहित सहायक सेवाओं की उपलब्धता की सूचना देना और इन सेवाओं और अनुतोष प्रदान करने वाले लोगों से संपर्क करने में उनकी सहायता करना;

(च) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम की धारा 40 के अनुसार बालक के विधिक सलाह और वकील के अधिकार तथा वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचित करना।

(4) जहां एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है और उसे यह युक्तियुक्त आशंका है कि अपराध बालक के या उसके साझे घर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया या प्रयत्न किया गया या किए जाने की संभावना है, या बालक किसी बाल देखरेख संस्थान में और माता-पिता के बिना रह रहा है, या बालक बेघर या माता-पिता के बिना पाया जाता है, तो संबंधित एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बालक को संबंधित बालक कल्याण समिति (इसे इसमें इसके पश्चात "सीडब्ल्यूसी" कहा गया है) के समक्ष लिखित कारणों में कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (5) के अधीन देखभाल और सुरक्षा की अपेक्षा है और सीडब्ल्यूसी द्वारा विस्तृत आकलन के अनुरोध सहित प्रस्तुत करेगी।

(5) उप-नियम (3) के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संबंधित सीडब्ल्यूसी किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के अनुसार, तीन दिनों के भीतर, या तो स्वयं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से, यह निर्धारित करेगा, कि क्या बालक को बालक के परिवार या साझा घर की अभिरक्षा से बाहर निकालना और बालक गृह या आश्रय गृह में रखा जाना आवश्यक है।

(6) उप-नियम (4) के अधीन निर्धारण करते समय, सीडब्ल्यूसी निम्नलिखित विचारों के संबंध में बालक के सर्वोत्तम हितों के साथ मामले पर बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी प्राथमिकता या राय पर को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: -

(i) माता-पिता, या दोनों में से एक, या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की बालक को चिकित्सा जरूरतों और परामर्श सहित तत्काल देखभाल और संरक्षण आवश्यकता को प्रदान करने की क्षमता;

(ii) बालक के माता-पिता, परिवार और विस्तारित परिवार की देखभाल में रहने और उनके साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता;

(iii) बालक की उम्र और परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि;

(iv) बालक की नि:शक्तता, यदि कोई हो;

(v) कोई पुरानी बीमारी, जिससे बालक पीड़ित हो सकता है;

(vi) बालक या बालक के परिवार के सदस्य सहित पारिवारिक हिंसा का कोई इतिहास; और,

(vii) कोई अन्य सुसंगत कारक जो बालक के सर्वोत्तम हितों पर असर डाल सकते हैं:

परंतु ऐसा निर्धारण करने से पूर्व, इस तरह से जांच की जाएगी कि बालक को अनावश्यक रूप से चोट या असुविधा न पहुंचे।

(7) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है और जिसके साथ बालक रह रहा है, जो ऐसे निर्धारण से प्रभावित होता है, को सूचित किया जाएगा कि ऐसे निर्धारण पर विचार किया जा रहा है।

(8) सीडब्ल्यूसी, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (6) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उप-नियम (5) के अधीन किए गए उसके निर्धारण के आधार पर, बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है की सहमति से जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बालक को हरसंभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध करा सकता है, और बालक को एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराने के बारे में एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करेगा।

(9) सहायक व्यक्ति हर समय उस बालक से संबंधित सभी सूचनाओं, जिन तक उसकी पहुंच है की गोपनीयता बनाए रखेगा और वह बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाओं और संभावित परिणामों सहित मामले की कार्यवाही के बारे में सूचित करेगा। सहायक व्यक्ति बालक को न्यायिक प्रक्रिया में सहायक व्यक्ति की भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त के संबंध में बालक की सुरक्षा के बारे में बालक को होने वाली किसी भी चिंता और सहायक व्यक्ति द्वारा बालक की गवाही देने के तरीके से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए।

(10) जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है, तो एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस ऐसा दायित्व सौंपने के 24 घंटे के भीतर विशेष अदालत को लिखित में सूचित करेगी।

(11) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, के अनुरोध पर सीडब्ल्यूसी द्वारा सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, और समाप्ति का अनुरोध करने वाले बालक को ऐसे अनुरोध का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। विशेष अदालत को ऐसी सूचना लिखित में दी जाएगी।

(12) सीडब्ल्यूसी जांच के पूरा होने तक सहायक व्यक्ति से शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित पारिवारिक स्थिति और आघात से बचाव की दिशा में प्रगति सहित बालक की स्थिति और देखभाल के संबंध में मासिक रिपोर्ट मांगेगा; मनोवैज्ञानिक देखभाल और परामर्श सहित बालक को आवश्यकता-आधारित निरंतर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए, सहायक व्यक्ति के समन्वय से, चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के साथ संलग्न करेगा; और बालक की शिक्षा को पुन: चालू करना, या जारी रखना, या अपेक्षित होने पर बालक को नए स्कूल में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेगा।

(13) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसमें बालक को भरोसा और विश्वास है, और सहायक व्यक्ति नियुक्त किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को, अभियुक्त की गिरफ्तारी, फाईल आवेदनों और न्यायालय की अन्य कार्यवाहियों सहित, घटनाक्रम के बारे में सूचित करना एसजेपीयू, या स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होगी।

(14) एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस भी बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध उनकी हकदारियों और सेवाओं के बारे में **प्ररूप-क** के अनुसार सूचित करेगी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के 24 घंटों के भीतर **प्ररूप-ख** में प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट को पूरा करेगा और इसे सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करेगी।

(15) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को एसजेपीयू, स्थानीय पुलिस, या सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना सम्मिलित है, किंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है :-

(i) सार्वजनिक और निजी आपातकालीन और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता;

(ii) आपराधिक अभियोजन में शामिल प्रक्रियात्मक कदम;

(iii) पीड़ित के प्रतिकर लाभों की उपलब्धता;

(iv) पीड़ित को सूचित करने के औचित्य और अंवेषण में हस्तक्षेप नहीं करेगा, के विस्तार तक अपराध के अंवेषण की प्रास्थिति;

(v) संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी;

(vi) संदिग्ध अपराधी के विरूद्ध आरोप फाईल करना;

(vii) न्यायालय की कार्यवाहियों की अनुसूची जिसमें बालक का या तो उपस्थित होना अपेक्षित है या तो वह भाग लेने का हकदार है;

(viii) अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, निर्मुक्ति या निरोध की प्रास्थिति;

(ix) परीक्षण के पश्चात अधिमत का प्रतिपादन; और

(x) अपराधी को अधिरोपित दंडादेश ।

5. दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति- (1) प्रत्येक जिले में, डीसीपीयू अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दुभाषियों, अनुवादकों, विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों और सहायक व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य संपर्क विवरणों का एक रजिस्टर रखेगा और एसजेपीयू, स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय को, आवश्यक होने पर, यह रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) और धारा 26 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) तथा धारा 38 और नियम 4 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और सहायक व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव क्रमश: इन नियमों में इंगित किए जाएंगे।

(3) जहां एक दुभाषिया, अनुवादक, या विशेष शिक्षक डीसीपीयू द्वारा नियम (1) के अधीन रखी गई सूची से अन्यथा नियुक्त हैं, इस नियम के उप-नियम (4) और उप-नियम(5) के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं में डीसीपीयू, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, प्रासंगिक अनुभव या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक, या विशेष शिक्षक द्वारा संबंधित भाषाओं में धाराप्रवाह होने के साक्ष्य पर शिथिलता दी जा सकती है।

(4) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त दुभाषियों और अनुवादकों का बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बालक की मातृभाषा या स्कूल में कम से कम प्राथमिक स्कूल स्तर तक शिक्षा का माध्यम होने या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा बालक के व्यवसाय, वृत्ति, या ऐसी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र में निवास के माध्यम से ऐसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से, के साथ ही राज्य की आधिकारिक भाषा से कार्यात्मक परिचय होना चाहिए।

(5) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि किए गए संकेत भाषी दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में या विशेषज्ञ के मामले में सुसंगत विषय में प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए।

(6) सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों या बालक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति या संगठन, या बालक की अभिरक्षा वाले बालक गृह या आश्रय गृह का अधिकारी या डीसीपीयू द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है:

परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता लेने से नहीं रोका जाएगा।

(7) दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति जिसका नाम उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए रजिस्टर में या अन्यथा नामांकित है, की सेवाओं के लिए भुगतान राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 105 के अधीन रखे गए निधियों या डीसीपीयू के पास रखे गए अन्य निधियों से किया जाएगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन बालक की सहायता के प्रयोजन से नियुक्त किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति को, राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान किया जाएगा किंतु जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन एक कुशल कर्मकार के लिए विहित रकम से कम नहीं होगा।

(9) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद बालक द्वारा किसी भी स्तर पर दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहायक व्यक्ति के लिंग के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्राथमिकता पर ध्यान रखा जाए, और जहां आवश्यक हो, बालक से संवाद की सुविधा के लिए ऐसे एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं।

(10) दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहयोगी व्यक्ति या अधिनियम के प्रयोजनों से सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है बालक के संवाद के तरीके से परिचित व्यक्ति, पूर्वाग्रह रहित और निष्पक्ष होंगे और उनके वास्तविक या कथित हित संघर्ष का खुलासा करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 282 के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या या अनुवाद प्रस्तुत करेगा।

(11) धारा 38 के अधीन कार्यवाही में, विशेष अदालत यह अभिनिश्चत करेगी कि क्या बालक पर्याप्त रूप से अदालत की भाषा बोलता है, और किसी भी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहायक व्यक्ति या बालक

के संवाद के तरीके से परिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, किसी हित संघर्ष में शामिल नहीं है।

(12) अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई भी दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति गोपनीयता के नियमों से बाध्य होगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन वर्णित है।

6. चिकित्सीय सहायता और देखरेख - (1) जब भी कोई एसजेपीयू, या स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त की जाती है कि अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है और उसका यह समाधान हो जाता है कि जिस बालक के खिलाफ अपराध किया गया है उसे तत्काल चिकित्सीय देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो जैसा भी मामला हो, वह अधिकारी या स्थानीय पुलिस, ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर, ऐसे बालक को सबसे निकट के अस्पताल या चिकित्सीय सेवा सुविधा केन्द्र में उसके चिकित्सीय देखभाल के लिए ले जाने का प्रबंध करेगी:

परंतु यदि अधिनियम की धारा 3,5,7, या 9 के अधीन अगर अपराध किया गया हो, तो पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए भेजा जाएगा।

(2) माता-पिता या संरक्षक या जिस पर बालक को विश्वास हो की उपस्थिति में आपातकालीन चिकित्सीय सेवा इस तरह प्रदान की जाएगी कि बालक की निजता सुरक्षित रहे।

(3) बालक को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाला कोई भी चिकित्सक, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय सुविधा केन्द्र ऐसी सेवा प्रदान करने के पूर्व आवश्यक दस्तावेज के रूप में कानूनी या मजिस्ट्रेट की अनुमति या अन्य दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा।

(4) सेवा प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक बालक की जांच करने के साथ निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा:

(क) अन्य जननांग चोटों सहित कटने-फटने और चोटों के लिए उपचार, यदि कोई हो;

(ख) पहचान किए गए एसटीडी के लिए प्रोफिलैक्सिस सहित यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के संपर्क में आने का उपचार;

(ग) संक्रामक रोग विशेषज्ञों से आवश्यक परामर्श के बाद एचआईवी के लिए प्रोफिलैक्सिस सहित ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के संपर्क में आने का उपचार;

(घ) प्यूबर्टल (तरूण अवस्था प्राप्त योग्य) बालक और उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति के जिसमें बालक को भरोसा और आत्मविश्वास हो के साथ संभावित गर्भावस्था और आपातकालीन गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए; और

(ड.) जब कभी आवश्यक हो, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, या अन्य परामर्श, या नशीली दवाओं की लत छुड़ाने की सेवा और कार्यक्रमों के लिए एक रेफरल या परामर्श किया जाना चाहिए।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को बालक की स्थिति के बारे में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दे सकता है।

(6) आपातकालीन चिकित्सीय सेवा प्रदान किए जाने के दौरान संग्रह किए गए कोई भी फॉरेंसिक प्रमाण आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 27 के अधीन संग्रह किए जाने चाहिए।

(7) अगर बच्ची गर्भवती पाई जाती है तो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति को गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार विभिन्न विधिपूर्ण विकल्पों के बारे में परामर्श देगा।

(8) अगर बच्चा ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन करने का शिकार पाया गया है तो बालक की नशा मुक्ति कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

(9) यदि बालक (विकलांग जन) दिव्यांग है तो दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के उपबंधों के अधीन उसकी समुचित उपाय और देखरेख की जाएगी

7. विधिक सहायता और मदद - (1) विधिक सहायता और मदद के लिए सीडब्ल्यूसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात "डीएलएस" कहा गया है) को सिफारिश करेगा।

(2) बालक को विधिक सहायता और मदद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के उपबंधों के अधीन प्रदान किया जाएगा।

8. विशेष राहत - (1) विशेष राहत के लिए, भोजन, कपड़ा, परिवहन और अन्य आकस्मिक आवश्यकता, यदि हो तो, सीडब्ल्यूसी उस स्थिति में अपेक्षित आंकलित रकम के तुरंत भुगतान के लिए निम्नलिखित के अधीन सिफारिश कर सकता है :-

(i) धारा 357 के अधीन डीएलएसए; या;

(ii) राज्य द्वारा उनके निपटारे के लिए रखी गई ऐसी निधि में से डीसीपीयू या;

(iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन रखी गई निधि

(2) इस तरह की आकस्मिक रकम का भुगतान शीघ्र सीडब्ल्यूसी से प्राप्त सिफारिश की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

9. मुआवजा- (1) प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) रजिस्ट्रीकृत होने के बाद किसी भी स्तर पर बालकों के राहत और पुनर्वास के लिए, विशेष न्यायालय, उचित मामलों में, स्वयं या बालकों द्वारा या उसके लिए फाईल किए गए आवेदन पर अंतरिम मुआवजे के लिए आदेश पारित कर सकता है। बालकों को भुगतान किए गए इस अंतरिम मुआवजे को अंतिम मुआवजा, यदि कोई हो तो, के साथ समंजित किया जाएगा।

(2) दोषी ठहराया जाता है, या जब मामले में अभिुक्त निर्दोष करार दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है, या अभियुक्त का पता नहीं चल पाता या उसकी पहचान नहीं हो पाती, और विशेष न्यायालय के विचार में अपराध के कारण बालक को हानि या चोट पहुंचा हो, तो विशेष न्यायालय, स्वयं या बालक द्वारा या उसके लिए दायर आवेदन पर मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है।

(3) जहां विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) की धारा 357क की उपधारा (2) और उपधारा(3) के साथ पठित, अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन निम्नलिखित सहित पीड़ित पहुंचे नुकसान या चोट से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर पीड़ित के लिए मुआवजा देने का निदेश देगा:

(i) दुर्व्यवहार का प्रकार, अपराध की गंभीरता और बालक को हुई मानसिक या शारीरिक हानि या चोट की गंभीरता;

(ii) बालक के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या दोनों पर हुए खर्च या होने वाले संभावित चिकित्सा उपचार पर व्यय;

(iii) अपराध के परिणाम स्वरूप मानसिक आघात के कारण स्कूल से अनुपस्थिति, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, अपराध की जांच और परीक्षण, या किसी अन्य कारण सहित शैक्षिक अवसर की हानि;

(iv) अपराध के परिणाम स्वरूप रोजगार का नुकसान, मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, अपराध की जांच और परीक्षण, या किसी अन्य कारण सहित रोजगार की हानि;

(v) अपराधी का बालक से संबंध, यदि कोई हो;

(vi) क्या दुर्व्यवहार एक अलग-थलग घटना थी या क्या समय के साथ दुर्व्यवहार हुआ था;

(vii) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बच्ची गर्भवती हो गई;

(viii) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बालक यौन संचारित बीमारी (एसटीडी) के संपर्क में आया;

(ix) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बालक मानव इम्यूनोडिफीसिएन्सीवायरस (एचआईवी) से संपर्क में आया ;

(x) अपराध के परिणाम स्वरूप बालक में आई कोई दिव्यांगता;

(xi) पुनर्वास की आवश्यकता अवधारित करने के लिए बालक की वित्तीय दशा जिसके विरूद्ध अपराध किया गया हो;

(xii) अन्य कोई भी कारक जिसे विशेष न्यायालय प्रांसगिक समझ सकता है।

(4) विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजा का भुगतान राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति निधि, या अन्य स्कीम या उसके द्वारा पीड़ितों को मुआवजा देने और पुनर्वास करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 357क या जहां इस तरह की स्कीम और निधि नहीं है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रयोजन के लिए स्थापित राज्य सरकार की निधि या स्कीम से किया जाएगा।

(5) विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार मुआवजे का भुगतान करेगी।

(6) इन नियमों की कोई बात बालक या बालक के माता-पिता या ऐसा बालक जो किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करता हो और उसे उस पर आत्म विश्वास है, को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियमों या स्कीम के अधीन राहत की मांग के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा

10. जुर्माना अधिरोपण और इसके भुगतान की प्रक्रिया- (1) विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने का रकम जिसे पीड़ित को भुगतान किया जाना है, वास्तव में बालक को ही भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूसी डीएलएसए के साथ समन्वय करेगा।

(2) डीसीपीयू और मददगार व्यक्ति की सहायता से सीडब्ल्यूसी बैंक खाता खुलवाने की किसी भी प्रक्रिया के लिए पहचान की सबूत, आदि की सुविधा प्रदान करेगा।

11. बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग- (1) कोई भी व्यक्ति जिसे बालक को सम्मिलित करने वाली कोई अश्लील सामग्री मिली है, या ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री के बारे में जानकारी संग्रहित, वितरित, परिचालित, प्रसारित, प्रचार-प्रसार की सुविधा प्रदान करने,या प्रचारित या प्रदर्शित करने, या वितरित होने, सुगम होने या किसी भी तरीके से प्रसारित होने की सूचना मिलती है, वह एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को, या जैसा भी मामला हो, साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर सामग्री की रिपोर्ट करेगा और इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समय-समय पर जारी किए गए सरकार के निदेशों के अनुसार एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) यदि उप-नियम (1) में वर्णित "व्यक्ति" एक "मध्यस्थ" है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के उपबंध (डब्ल्यू) में परिभाषित है, तो ऐसा व्यक्ति साथ में रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, जैसा कि उप-नियम (1) में उपबंध किया गया है, ऐसी सामग्री तैयार होने के सृजन स्रोत सहित आवश्यक सामग्री को एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, या जैसा कि मामला हो, साइबर-क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) को सौंपेगा और उक्त सामग्री की प्राप्ति पर, एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस या साइबर-क्राइम पोर्टल समय-समय पर जारी सरकार के निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(3) रिपोर्ट में उस आकृति का विवरण शामिल होगा जिसमें उस प्लेटफॉर्म सहित ऐसी अश्लील सामग्री देखी गई थी और वह संदिग्ध आकृति जिससे सामग्री प्रदर्शित की गई थी और संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई थी।

(4) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार समय-समय पर इस तरह की रिपोर्ट बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयास करेगी।

12. अधिनियम का कार्यान्वयन और निगरानी- (1) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 (2006 के 4) के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" कहा गया है) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसके पश्चात् "एससीपीसीआर" कहा गया है), जैसा भी मामला हो उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे :-

(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की अभिहित की निगरानी;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की निगरानी;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या बालक की सहायता करने के लिए पूर्व परीक्षण और परीक्षण चरण और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपयोग की निगरानी के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालकों के विकास से जुड़े संबंधित ज्ञान वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों के निरूपण की निगरानी;

(घ) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की डिजाइन तैयार करने और कार्यान्वयन की निगरानी;

(ड.) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचना के प्रसार की निगरानी और समर्थन करना, ताकि आम लोग, बालकों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावक अधिनियम के उपबंधों से अवगत हो सकें।

(च) सीडब्ल्यूसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाल यौन शोषण के किसी विशेष मामले की रिपोर्ट मंगाना।

(छ) निम्नलिखित से संबंधित जानकारी सहित अधिनियम के अधीन की प्रक्रियाओं के अधीन यौन दुर्व्यवहार के मामलों और उनके निपटान के बारे में संबंधित एजेंसियों या स्वयं से जानकारी या आंकड़ा संग्रह करना: -

(i) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और विवरण;

(ii) क्या प्रक्रियाओं में शामिल टाइमफ्रेम सहित अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था;

(iii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था सहित सुरक्षा की व्यवस्था का विवरण, और,

(iv) किसी भी विशिष्ट मामले में संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा बालकों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के आकलन के बारे में विवरण;

(ज) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एकत्रित जानकारी का उपयोग करना। अधिनियम की निगरानी की रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में शामिल किया जाएगा।

(2) संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के अधीन डेटा एकत्र करने, इस तरह के डेटा को केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के साथ साझा करने का अधिदेश प्राप्त है।

13. निरसन- इस निरसन से पहले की गई कोई बात या किए जाने वाले लोप के सिवाय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

प्ररूप-क

सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण पीड़ित बालकों का अधिकार

1. एफआईआर की प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सिविल अस्पताल /पीएचसी, आदि से शीघ्र और नि:शुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना।
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना।
5. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना।
6. जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहां बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो , वहां से बाल देखरेख संस्थान में स्थानांतरित होना।
7. सीडब्ल्यूसी की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
8. मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
9. जहां आवश्यक हो, दुभाषिये या अनुवादक प्राप्त करना ।
10. अक्षम बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना।
11. नि:शुल्क विधिक सहायता पाना ।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना
13. शिक्षा जारी रखना।
14. निजता और गोपनीयता ।
15. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची पाना

डयूटी अधिकारी

तारीख : **(नाम और पद का उल्लिखित किया जाए)**

मैंने 'प्ररूप– क' की एक प्रति प्राप्त की है।

(पीड़ित /माता-पिता /संरक्षक का हस्ताक्षर)

(**टिप्पण**: प्ररूप का अनुवाद स्थानीय सरल और बाल सुलभ भाषा में किया जा सकता है।)

प्ररूप- ख

प्रारंभिक आंकलन रिपोर्ट

	मापदंड	**टिप्पणी**
1	पीड़ित की उम्र	
2	अपराधी से बालक का संबंध	
3	अपराध का प्रकार और उसकी गंभीरता	
4	बालक की चोट की गंभीरता, मानसिक और शारीरिक नुकसान का विवरण	
5	क्या बच्चा विकलांग (शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक) है।	
6	पीड़ित के माता-पिता की आर्थिक स्थिति, बालक के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, बालक के माता-पिता का व्यवसाय और परिवार की मासिक आय के बारे में विवरण	
7	क्या पीड़ित की मृत्यु हो गई है या वर्तमान मामले की घटना के कारण किसी चिकित्सा उपचार से गुजर रहा है या अपराध के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है	
8	क्या मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, जांच और परीक्षण या अन्य कारणों से स्कूल से अनुपस्थिति सहित अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है?	
9	क्या दुर्व्यवहार एक अलग-थलग घटना थी या क्या यह दुर्व्यवहार समय के साथ हुआ था?	
10	क्या पीड़ित के माता-पिता का किसी प्रकार का इलाज चल रहा है या उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ?	
11	अगर उपलब्ध हो, तो बालक का आधार संख्या	

तारीख : थाना अध्यक्ष

[फा. सं. 30/1/2019/Cw-I]

आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2020

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by section 45 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012);

(b) "District Child Protection Unit" (DCPU) means the District Child Protection Unit established by the State Government under section 106 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016);

(c) "expert" means a person trained in mental health, medicine, child development or other relevant discipline, who may be required to facilitate communication with a child whose ability to communicate has been affected by trauma, disability or any other vulnerability;

(d) "special educator" means a person trained in communication with children with disabilities in a way that addresses the child's individual abilities and needs, which include challenges with learning and communication, emotional and behavioral issues, physical disabilities, and developmental issues.

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression "disabilities", shall carry the same meaning as defined in clause (s) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);

(e) "Person familiar with the manner of communication of the child" means a parent or family member of a child or a member of child's shared household or any person in whom the child reposes trust and confidence, who is familiar with that child's unique manner of communication, and whose presence may be required for or be conducive to more effective communication with the child;

(f) "support person" means a person assigned by the Child Welfare Committee, in accordance with sub-rule (7) of rule 4, to render assistance to the child through the process of investigation and trial, or any other person assisting the child in the pre-trial or trial process in respect of an offence under the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

3. Awareness generation and capacity building.—(1) The Central Government, or as the case may be, the State Government shall prepare age-appropriate educational material and curriculum for children, informing them about various aspects of personal safety, including—

(i) measures to protect their physical, and virtual identity; and to safeguard their emotional and mental wellbeing;

(ii) prevention and protection from sexual offences;

(iii) reporting mechanisms, including Child helpline-1098 services;

(iv) inculcating gender sensitivity, gender equality and gender equity for effective prevention of offences under the Act.

(2) Suitable material and information may be disseminated by the respective Governments in all public places such as panchayatbhavans, community centers, schools and colleges, bus terminals, railway stations, places of congregation, airports, taxi stands, cinema halls and such other prominent places and also be disseminated in suitable form in virtual spaces such as internet and social media.

(3) The Central Government and every State Government shall take all suitable measures to spread awareness about possible risks and vulnerabilities, signs of abuse, information about rights of children under the Act along with access to support and services available for children.

(4) Any institution housing children or coming in regular contact with children including schools, creches, sports academies or any other facility for children must ensure a police verification and background check on periodic basis, of every staff, teaching or non-teaching, regular or contractual, or any other person being an employee of such Institution coming in contact with the child. Such Institution shall also ensure that periodic training is organised for sensitising them on child safety and protection.

(5) The respective Governments shall formulate a child protection policy based on the principle of zero-tolerance to violence against children, which shall be adopted by all institutions, organizations, or any other agency working with, or coming in contact with children.

(6) The Central Government and every State Government shall provide periodic trainings including orientation programmes, sensitization workshops and refresher courses to all persons, whether regular or contractual, coming in contact with the children, to sensitize them about child safety and protection and educate them regarding their responsibility under the Act. Orientation programme and intensive courses may also be organized for police personnel and forensic experts for building their capacities in their respective roles on a regular basis.

4. Procedure regarding care and protection of child.— (1) Where any Special Juvenile Police Unit (hereafter referred to as "SJPU") or the local police receives any information under sub-section (1) of section19 of the Act from any person including the child, the SJPU or local police receiving the report of such information shall forthwith disclose to the person making the report, the following details:-

(i) his or her name and designation;

(ii) the address and telephone number;

(iii) the name, designation and contact details of the officer who supervises the officer receiving the information.

(2) If any such information regarding the commission of an offence under the provisions of the Act is received by the child helpline-1098, the child helpline shall immediately report such information to SJPU or Local Police.

(3) Where an SJPU or the local police, as the case may be, receives information in accordance with the provisions contained under sub-section (1) of section 19 of the Act in respect of an offence that has been committed or attempted or is likely to be committed, the authority concerned shall, where applicable, —

(a) proceed to record and register a First Information Report as per the provisions of section154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and furnish a copy thereof free of cost to the person making such report, as per sub-section (2) of section154 of that Code;

(b) where the child needs emergency medical care as described under sub-section (5) of section 19 of the Act or under these rules, arrange for the child to access such care, in accordance with rule 6;

(c) take the child to the hospital for the medical examination in accordance with section 27 of the Act;

(d) ensure that the samples collected for the purposes of the forensic tests are sent to the forensic laboratory immediately;

(e) inform the child and child's parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence of the availability of support services including counselling, and assist them in contacting the persons who are responsible for providing these services and relief;

(f) inform the child and child's parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence as to the right of the child to legal advice and counsel and the right to be represented by a lawyer, in accordance with section 40 of the Act.

(4) Where the SJPU or the local police receives information under sub-section (1) of section 19 of the Act, and has a reasonable apprehension that the offence has been committed or attempted or is likely to be committed by a person living in the same or shared household with the child, or the child is living in a child care institution and is without parental support, or the child is found to be without any home and parental support, the concerned SJPU, or the local police shall produce the child before the concerned Child Welfare Committee (hereafter referred to as "CWC") within 24 hours of receipt of such report, together with reasons in writing as to whether the child is in need of care and protection under sub-section (5) of section 19 of the Act, and with a request for a detailed assessment by the CWC.

(5) Upon receipt of a report under sub-rule (3), the concerned CWC must proceed, in accordance with its powers under sub-section (1) of section 31 of the Juvenile Justice Act, 2015 (2 of 2016), to make a determination within three days, either on its own or with the assistance of a social worker, as to whether the child needs to be taken out of the custody of child's family or shared household and placed in a children's home or a shelter home.

(6) In making determination under sub-rule (4), the CWC shall take into account any preference or opinion expressed by the child on the matter, together with the best interests of the child, having regard to the following considerations, namely:—

(i) the capacity of the parents, or of either parent, or of any other person in whom the child has trust and confidence, to provide for the immediate care and protection needs of the child, including medical needs and counseling;

(ii) the need for the child to remain in the care of parent's, family and extended family and to maintain a connection with them;

(iii) the child's age and level of maturity, gender, and social and economic background;

(iv) disability of the child, if any;

(v) any chronic illness from which a child may suffer;

(vi) any history of family violence involving the child or a family member of the child; and,

(vii) any other relevant factors that may have a bearing on the best interests of the child:

Provided that prior to making such determination, an inquiry shall be conducted in such a way that the child is not unnecessarily exposed to injury or inconvenience.

(7) The child and child's parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence and with whom the child has been living, who is affected by such determination, shall be informed that such determination is being considered.

(8) The CWC, on receiving a report under sub-section (6) of section 19 of the Act or on the basis of its assessment made under sub-rule (5), and with the consent of the child and child's parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, may provide a support person to render assistance to the child in all possible manner throughout the process of investigation and trial, and shall immediately inform the SJPU or Local Police about providing a support person to the child.

(9) The support person shall at all times maintain the confidentiality of all information pertaining to the child to which he or she has access and shall keep the child and child's parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, informed regarding the proceedings of the case, including available assistance, judicial procedures, and potential outcomes. The Support person shall also inform the child of the role the Support person may play in the judicial process and ensure that any concerns that the child may have, regarding child's safety in relation to the accused and the manner in which the Support person would like to provide child's testimony, are conveyed to the relevant authorities.

(10) Where a support person has been provided to the child, the SJPU or the local police shall, within 24 hours of making such assignment, inform the Special Court in writing.

(11) The services of the support person may be terminated by the CWC upon request by the child and child's parent or guardian or person in whom the child has trust and confidence, and the child requesting the termination shall not be required to assign any reason for such request. The Special Court shall be given in writing such information.

(12) The CWC shall also Seek monthly reports from support person till the completion of trial, with respect to condition and care of child, including the family situation focusing on the physical, emotional and mental wellbeing, and progress towards healing from trauma; engage with medical care facilities, in coordination with the support person, to ensure need-based continued medical support to the child, including psychological care and counseling; and shall ensure resumption of education of the child, or continued education of the child, or shifting of the child to a new school, if required.

(13) It shall be the responsibility of the SJPU, or the local police to keep the child and child's parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, and where a support person has been assigned, such person, informed about the developments, including the arrest of the accused, applications filed and other court proceedings.

(14) SJPU or the local police shall also inform the child and child's parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence about their entitlements and services available to them under the Act or any other law for the time being applicable as per **Form-A**. It shall also complete the Preliminary Assessment Report in **Form B** within 24 hours of the registration of the First Information Report and submit it to the CWC.

(15) The information to be provided by the SJPU, local police, or support person, to the child and child's parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, includes but is not limited to the following:-

(i) the availability of public and private emergency and crisis services;

(ii) the procedural steps involved in a criminal prosecution;

(iii) the availability of victim's compensation benefits;

(iv) the status of the investigation of the crime, to the extent it is appropriate to inform the victim and to the extent that it will not interfere with the investigation;

(v) the arrest of a suspected offender;

(vi) the filing of charges against a suspected offender;

(vii) the schedule of court proceedings that the child is either required to attend or is entitled to attend;

(viii) the bail, release or detention status of an offender or suspected offender;

(ix) the rendering of a verdict after trial; and

(x) the sentence imposed on an offender.

5. Interpreters, translators, special educators, experts and support persons.—(1) In each district, the DCPU shall maintain a register with names, addresses and other contact details of interpreters, translators, experts, special educators and support persons for the purposes of the Act, and this register shall be made available to the SJPU, local police, magistrate or Special Court, as and when required.

(2) The qualifications and experience of the interpreters, translators, special educators, experts and support persons engaged for the purposes of sub-section (4) of section 19, sub-sections (3) and (4) of section 26 and section 38 of the Act,and rule 4 respectively shall be as indicated in these rules.

(3) Where an interpreter, translator, or special educator is engaged, otherwise than from the list maintained by the DCPU under sub-rule (1), the requirements prescribed under sub-rules (4) and (5) of this rule may be relaxed on evidence of relevant experience or formal education or training or demonstrated proof of fluency in the relevant languages by the interpreter, translator, or special educator, subject to the satisfaction of the DCPU, Special Court or other authority concerned.

(4) Interpreters and translators engaged under sub-rule (1) should have functional familiarity with language spoken by the child as well as the official language of the state, either by virtue of such language being child's mother tongue or medium of instruction at school at least up to primary school level, or by the interpreter or translator having acquired knowledge of such language through child's vocation, profession, or residence in the area where that language is spoken.

(5) Sign language interpreters, special educators and experts entered in the register under sub-rule(1) should have relevant qualifications in sign language or special education, or in the case of an expert, in the relevant discipline, from a recognised University or an institution recognised by the Rehabilitation Council of India.

(6) Support person may be a person or organisation working in the field of child rights or child protection, or an official of a children's home or shelter home having custody of the child, or a person employed by the DCPU:

Provided that nothing in these rules shall prevent the child and child's parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence from seeking the assistance of any person or organisation for proceedings under the Act.

(7) Payment for the services of an interpreter, translator, special educator, expert or support person whose name is enrolled in the register maintained under sub-rule (1) or otherwise, shall be made by the State Government from the Fund maintained under section 105 of the Juvenile Justice Act, 2015 (2 of 2016), or from other funds placed at the disposal of the DCPU.

(8) Any interpreter, translator, special educator, expert or support person engaged for the purpose of assisting a child under this Act, shall be paid a fee which shall be prescribed by the State Government, but which, shall not be less than the amount prescribed for a skilled worker under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

(9) Any preference expressed by the child at any stage after information is received under sub-section(1) of section 19 of the Act, as to the gender of the interpreter, translator, special educator, expert or support person, may be taken into consideration, and where necessary, more than one such person may be engaged in order to facilitate communication with the child.

(10) The interpreter, translator, special educator, expert, support person or person familiar with the manner of communication of the child engaged to provide services for the purposes of the Act shall be unbiased and impartial and shall disclose any real or perceived conflict of interest and shall render a complete and accurate interpretation or translation without any additions or omissions, in accordance with section 282 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(11) In proceedings under section 38, the Special Court shall ascertain whether the child speaks the language of the court adequately, and that the engagement of any interpreter, translator, special educator, expert, support person or other person familiar with the manner of communication of the child, who has been engaged to facilitate communication with the child, does not involve any conflict of interest.

(12) Any interpreter, translator, special educator, expert or support person appointed under the Act shall be bound by the rules of confidentiality, as described under section 127 read with section 126 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).

6. Medical aid and care.—(1) Where an officer of the SJPU, or the local police receives information under section 19 of the Act that an offence under the Act has been committed, and is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of urgent medical care and protection, such officer, or as the case may be, the local police shall, within 24 hours of receiving such information, arrange to take such child to the nearest hospital or medical care facility center for emergency medical care:

Provided that where an offence has been committed under sections 3, 5, 7 or 9 of the Act, the victim shall be referred to emergency medical care.

(2) Emergency medical care shall be rendered in such a manner as to protect the privacy of the child, and in the presence of the parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence.

(3) No medical practitioner, hospital or other medical facility center rendering emergency medical care to a child shall demand any legal or magisterial requisition or other documentation as a pre-requisite to rendering such care.

(4) The registered medical practitioner rendering medical care shall attend to the needs of the child, including:

(a) treatment for cuts, bruises, and other injuries including genital injuries, if any;

(b) treatment for exposure to sexually transmitted diseases (STDs) including prophylaxis for identified STDs;

(c) treatment for exposure to Human Immunodeficiency Virus (HIV), including prophylaxis for HIV after necessary consultation with infectious disease experts;

(d) possible pregnancy and emergency contraceptives should be discussed with the pubertal child and her parent or any other person in whom the child has trust and confidence; and,

(e) wherever necessary, a referral or consultation for mental or psychological health needs, or other counseling, or drug de-addiction services and programmes should be made.

(5) The registered medical practitioner shall submit the report on the condition of the child within 24 hrs to the SJPU or Local Police.

(6) Any forensic evidence collected in the course of rendering emergency medical care must be collected in accordance with section 27 of the Act.

(7) If the child is found to be pregnant, then the registered medical practitioner shall counsel the child, and her parents or guardians, or support person, regarding the various lawful options available to the child as per the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 (2 of 2016).

(8) If the child is found to have been administered any drugs or other intoxicating substances, access to drug de-addiction programme shall be ensured.

(9) If the Child is a divyang (person with disability), suitable measure and care shall be taken as per the provisions of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

7. Legal aid and assistance.—(1) The CWC shall make a recommendation to District Legal Services Authority (hereafter referred to as "DLSA") for legal aid and assistance.

(2) The legal aid and assistance shall be provided to the child in accordance with the provisions of the *Legal Services Authorities Act,* 1987 (39 of 1987).

8. Special relief.—(1) For special relief, if any, to be provided for contingencies such as food, clothes, transport and other essential needs, CWC may recommend immediate payment of such amount as it may assess to be required at that stage, to any of the following:-

(i) the DLSA under Section 357A; or;

(ii) the DCPU out of such funds placed at their disposal by state or;

(iii) funds maintained under section105 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act,2015 (2 of 2016);

(2) Such immediate payment shall be made within a week of receipt of recommendation from the CWC.

9. Compensation.—(1) The Special Court may, in appropriate cases, on its own or on an application filed by or on behalf of the child, pass an order for interim compensation to meet the needs of the child for relief or rehabilitation at any stage after registration of the First Information Report. Such interim compensation paid to the child shall be adjusted against the final compensation, if any.

(2) The Special Court may, on its own or on an application filed by or on behalf of the victim, recommend the award of compensation where the accused is convicted, or where the case ends in acquittal or discharge, or the accused is not traced or identified, and in the opinion of the Special Court the child has suffered loss or injury as a result of that offence.

(3) Where the Special Court, under sub-section (8) of section 33 of the Act read with sub-sections (2) and (3) of section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) makes a direction for the award of compensation to the victim, it shall take into account all relevant factors relating to the loss or injury caused to the victim, including the following:-

(i) type of abuse, gravity of the offence and the severity of the mental or physical harm or injury suffered by the child;

(ii) the expenditure incurred or likely to be incurred on child's medical treatment for physical or mental health or on both;

(iii) loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(iv) loss of employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(v) the relationship of the child to the offender, if any;

(vi) whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time;

(vii) whether the child became pregnant as a result of the offence;

(viii) whether the child contracted a sexually transmitted disease (STD) as a result of the offence;

(ix) whether the child contracted human immunodeficiency virus (HIV) as a result of the offence;

(x) any disability suffered by the child as a result of the offence;

(xi) financial condition of the child against whom the offence has been committed so as to determine such child's need for rehabilitation;

(xii) any other factor that the Special Court may consider to be relevant.

(4) The compensation awarded by the Special Court is to be paid by the State Government from the Victims Compensation Fund or other scheme or fund established by it for the purposes of compensating and rehabilitating victims under section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 or any other law for the time being in force, or, where such fund or scheme does not exist, by the State Government.

(5) The State Government shall pay the compensation ordered by the Special Court within 30 days of receipt of such order.

(6) Nothing in these rules shall prevent a child or child's parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence from submitting an application for seeking relief under any other rules or scheme of the Central Government or State Government.

10. **Procedure for imposition of fine and payment thereof.—**(1) The CWC shall coordinate with the DLSA to ensure that any amount of fine imposed by the Special Court under the Act which is to be paid to the victim, is in fact paid to the child.

(2) The CWC will also facilitate any procedure for opening a bank account, arranging for identity proofs, etc., with the assistance of DCPU and support person.

11. Reporting of pornographic material involving a child.—(1)Any person who has received any pornographic material involving a child or any information regarding such pornographic material being stored, possessed, distributed, circulated, transmitted, facilitated, propagated or displayed, or is likely to be distributed, facilitated or transmitted in any manner shall report the contents to the SJPU or local police, or as the case may be, cyber-crime portal (cybercrime.gov.in) and upon such receipt of the report, the SJPU or local police or the cyber-crime portal take necessary action as per the directions of the Government issued from time to time.

(2) In case the "person" as mentioned in sub-rule (1) is an "intermediary" as defined in clause (w) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act,2000, such person shall in addition to reporting, as provided under sub-rule(1), also hand over the necessary material including the source from which such material may have originated to the SJPU or local police, or as the case may be, cyber-crime portal (cybercrime.gov.in) and upon such receipt of the said material, the SJPU or local police or the cyber-crime portal take necessary action as per the directions of the Government issued from time to time.

(3) The report shall include the details of the device in which such pornographic content was noticed and the suspected device from which such content was received including the platform on which the content was displayed.

(4) The Central Government and every State Government shall make all endeavors to create widespread awareness about the procedures of making such reports from time to time.

12. Monitoring of implementation of the Act.—(1) The National Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as "NCPCR") or the State Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as "SCPCR"), as the case may be, shall in addition to the functions assigned to them under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), perform the following functions for implementation of the provisions of the Act—

(a) monitor the designation of Special Courts by State Governments;

(b) monitor the appointment of the Special Public Prosecutors by the State Governments;

(c) monitor the formulation of the guidelines described in section 39 of the Act by the State Governments, for the use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge

of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child, and to monitor the application of these guidelines;

(d) monitor the designing and implementation of modules for training police personnel and other concerned persons, including officers of the Centre and State Governments, for the effective discharge of their functions under the Act;

(e) monitor and support the Central Government and State Governments for the dissemination of information relating to the provisions of the Act through media including the television, radio and print media at regular intervals, so as to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of the Act.

(f) call for a report on any specific case of child sexual abuse falling within the jurisdiction of a CWC.

(g) collect information and data on its own or from the relevant agencies regarding reported cases of sexual abuse and their disposal under the processes provided under the Act, including information on the following:-

(i) number and details of offences reported under the Act;

(ii) whether the procedures prescribed under the Act and rules were followed, including those regarding timeframes;

(iii) details of arrangements for care and protection of victims of offences under this Act, including arrangements for emergency medical care and medical examination; and,

(iv) details regarding assessment of the need for care and protection of a child by the concerned CWC in any specific case;

(h) use the information so collected to assess the implementation of the provisions of the Act. The report on monitoring of the Act shall be included in a separate chapter in the annual report of the NCPCR or the SCPCR.

(2) The concerned authorities mandated to collect data, under the Act, shall share such data with the Central Government and every State Government, NCPCR and SCPCRs.

13. Repeal.—The Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012 are hereby repealed, except as respects things done or omitted to be done before such repeal.

FORM -A

Entitlement of children who have suffered sexual abuse to receive information and services

1. To receive a copy of the FIR.
2. To receive adequate security and protection by Police.
3. To receive immediate and free medical examination by civil hospital/PHC etc.
4. To receive Counseling and consultation for mental and psychological well being
5. For Recording of statement of child by woman police officer at child's home or any other place convenient to child
6. To be moved to a Child Care Institution where offence was at home or in a shared household, to the custody of a person whom child reposes faith.
7. For Immediate aid and assistance on the recommendation of CWC.
8. For being kept away from accused at all times, during trial and otherwise.
9. To have an interpreter or translator, where needed.
10. To have special educator for the child or other specialized person where child is disabled.
11. For Free Legal Aid.
12. For Support Person to be appointed by Child Welfare Committee.
13. To continue with education.
14. To privacy and confidentiality.
15. For list of Important Contact No.'s including that of the District Magistrate and the Superintendent of Police.

Duty Officer

Date: **(Name & Designation to be mentioned)**

I have received a copy of 'Form-A'

(Signature of Victim/Parent/Guardian)

(Note :The form may be converted in local and simple Child friendly language)

FORM-B

PRELIMINARY ASSESSMENT REPORT

PARAMETERS		COMMENT
1.	Age of the victim	
2.	Relationship of child to the offender	
3.	Type of abuse and gravity of the offence	
4.	Available details and severity of mental and physical harm/injury suffered by the child	
5.	Whether the child is disabled (physical, mental or intellectual)	
6.	Details regarding economic status of victim's parents, total number of child's family members, occupation of child's parents and monthly family income.	
7.	Whether the victim has undergone or is undergoing any medical treatment due to incident of the present case or needs medical treatment on account of offence.	
8.	Whether there has been loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial or other reason?	
9.	Whether the abuse was a single isolated incident or whether the abuse took place over a period of time?	
10.	Whether the parents of victim are undergoing any treatment or have any health issues?	
11.	Aadhar No. of the child, if available.	

Date: Station House Officer

[F. No. 30/1/2019-Cw-I]

AASTHA S. KHATWANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.11 20:24:46 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218807
CG-DL-E-19032020-218807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941
No. 162] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 188(E).—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), Ministry of Women & Child Development vide G.S.R. 165(E) dated 09.03.2020 had notified the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020. In the Hindi version of said Rules, in clause-13, page-9, the words "संरक्षण अधिनियम, 2012" may be read as "संरक्षण नियम, 2012" and the words "नाम और पद का उल्लिखित किया जाए" in Form-A, page-9, may be read as "नाम और पद का उल्लेख किया जाए".

[F. No. CW-I-30/1/2019-CW-I]

AASTHA SAXENA KHATWANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.19 19:02:11 +05'30'